पत्रांक 15/जी 1–02/2017
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सुशील कुमार,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।
भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।
मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक 2018

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों (पटना विश्वविद्यालय, पटना एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को छोड़कर) से सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के बकाया सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु रूपये 438,01,03,869/– (चार सौ अड़तीस करोड़ एक लाख तीन हजार आठ सौ उनहत्तर) मात्र तथा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा को आउटसोर्सिंग हेतु रूपये 10,00,000/– (दस लाख) अर्थात गैर–वेतनादि मद में कुल रूपये 438,11,03,869/– (चार सौ अड़तीस करोड़ ग्यारह लाख तीन हजार आठ सौ उनहतर) मात्र सहायक अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग के राज्यादेश संख्या–15/जी1–01/2017–166 दिनांक– 28.03.2018 के द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों (पटना विश्वविद्यालय, पटना एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को छोड़कर) से सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के बकाया सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु रूपये 438,01,03,869/– (चार सौ अड़तीस करोड़ एक लाख तीन हजार आठ सौ उनहत्तर) मात्र तथा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा को आउटसोर्सिंग हेतु रूपये 10,00,000/– (दस लाख) अर्थात गैर–वेतनादि मद में कुल रूपये 438,11,03,869/– (चार सौ अड़तीस करोड़ ग्यारह लाख तीन हजार आठ सौ उनहतर) मात्र का व्यय 31.06 सहायक अनुदान गैर–वेतनादि से करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. तदनुसार राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों (पटना विश्वविद्यालय, पटना एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को छोड़कर) एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत

महाविद्यालयों/अल्पसंख्यक घाटानुदानित महाविद्यालयों में विधिवत् रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के गैर–वेतनादि मद में राज्यादेश संख्या 15/जी1–01/2017– 166 दिनांक– 28.03.2018 की कंडिका 3 में अंकित शर्त्तो एवं बंधेजो के अधीन विश्वविद्यालयवार निम्नवत् राशि विमुक्त की जा रही है:–

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय का नाम	बकाया सेवान्त लाभ के मद में विमुक्त की जाने वाली राशि	आउटसोर्सिंग के मद में विमुक्त की जानेवाली राशि	गैर–वेतनादि मद में कुल विमुक्त की जाने वाली राशि (स्तम्भ 3+4)
1	2	3	4	5
1	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	722502313	0	722502313
2	बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुज0	869487208	0	869487208
3	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	733697953	0	733697953
4	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	414067738	0	414067738
5	बी0एन0एम0 विश्वविद्यालय, मधेपुरा	638785464	0	638785464
6	एल0एन0एम0 विश्वविद्यालय, दरभंगा	954400415	0	954400415
7	के0एस0डी0एस0 विश्वविद्यालय, दरभंगा	45096357	1000000	46096357
8	मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, पटना	2066421	0	2066421
कुल		4380103869	1000000	4381103869

3. विमुक्त की गयी राशि से गैर–वेतनादि मद में भुगतान मात्र वैसे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को ही किया जाएगा जो विश्वविद्यालय सेवा में विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

4. विमुक्त की गयी राशि से जिन शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है, उनके पेंशनादि एवं सेवा निवृत्ति लाभ की अनुमान्यता का निर्धारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा–35 की उपधारा (2) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के आधार पर किया गया है तथा इसमें ऐसा कोई भत्ता सम्मिलित नहीं किया जायेगा जिसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त नहीं है ।

5. सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान राज्य सरकार के संकल्प संख्या 1674 दिनांक 16.08. 2012 में अंकित निदेशों के आधार पर किया जाएगा।

6. बकाया सेवान्त लाभ के मद में स्वीकृत की जाने वाली राशि से सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर अधिमान क्रम में तथा न्यायालीय वादों के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7. सेवानिवृत्ति लाभ के मद में भुगतान के समय विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि त्रिलाभ योजना के अधीन विभागीय राज्यादेशों एवं परिनियम में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल किसी सेवानिवृत्त शिक्षक को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

8. विमुक्त की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र बी0टी0सी0 फार्म 42 ए0 में अंकेक्षित लेखा के साथ (चाटर्ड एकांटेंट से अंकेक्षण प्रतिवेदन) विश्वविद्यालय से प्राप्त होने के पश्चात् ही अगले माहों के लिए वेतनादि/पेंशनादि हेतु राशि विमुक्त की जायेगी । उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा इस आशय का भी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना होगा कि विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के आधार पर अनुमान्य वेतनादि का भुगतान किया गया है।

09. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 6487 दिनांक 21.07.2017 के आलोक में विमुक्त जा रही राशि विश्वविद्यालयों के पी0एल0 खाते में उपलब्ध करा दी जाएगी।

10. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग और राज्य सरकार के वित्त (अंकेक्षण)विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस स्वीकृत एवं विमुक्त राशि से किये गये भुगतान का अंकेक्षण करें।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(सुशील कुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा

ज्ञापांक 15/जी 1–02/2017–616/ पटना,दिनांक 28/3/2018

प्रतिलिपि– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/आय–व्यय पदाधिकारी, वित्त विभाग एवं प्रशाखा पदाधिकारी–09, वित्त विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा/कुलसचिव एवं वित्त पदाधिकारी, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी–05, 14, 15/लेखापाल, उच्च शिक्षा तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0टी मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

(सुशील कुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा